झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
नवम् (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 03.08.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री मथुरा प्रसाद महतो स०वि०स० श्री रामदास सोरेन स०वि०स० श्री सुखराम उराँव स०वि०स०	धनबाद जिलान्तर्गत तोपचाँची प्रखण्ड के नेरो,दांगी,प्रधानखंता एवं सिंहदाहा पंचायत के विभिन्न ग्रामों में 11,000 वोल्ट एवं 220 वोल्ट के विद्युत तार अत्यंत ही जर्जरावस्था में है जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा तथा गाँवों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत तार में जाली नहीं रहने के कारण हमेशा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं कि वर्णित पंचायतों में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति एवं ग्रामीणों को दुर्घटना से बचाव हेतु जर्जर तारों की मरम्मति तथा गाँवों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत तारों में सुरक्षा जाली लगाया जाय।	ऊर्जा

01.	02.	03.	04.
02-	श्री विनोद कुमार सिंह स०वि०स०	श्रम विभाग की ओर से प्रवासी मजदूरों की अगर राज्य से बाहर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रित को मुआवजा व शव लाने हेतु अग्रिम राशि की व्यवस्था की गयी है। लेकिन, जो प्रवासी मजदूर राज्य से बाहर कार्य के दौरान बीमार पड़ने से या दुर्घटना से इतर अन्य कारणों से मौत हो जाती है लेकिन उन्हें न तो मुआवजा मिलता है ना ही उनके शव को लाने की व्यवस्था की जाती है। 17 जून, 2022 को गिरिडीह जिला के मेसौंधा के प्रवासी मजदूर मालदेव यादव की मुंबई में मौत हो गई। आर्थिक कारण से इनका शव नहीं आ पाया, मुंबई में ही अंतिम संस्कार किया गया। जुलाई माह में ही बगोदर प्रखंड के बरवाडीह के मजदूर डेगलाल रविदास की मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जिला प्रशासन व श्रम विभाग ने सूचना के बावजूद शव लाने में कोई सहयोग नहीं किया गया। ग्रामीणों ने आपस में सहयोग कर इनका शव मुंबई से मंगाया। अतः मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि श्रम विभाग प्रवासी मजदूरों के हित में योजना का दायरा बढ़ाये, ताकि दुर्घटना से इतर मौत में भी आश्रित को लाभ मिले, परिवार तक प्रवासी मजदूर का शव पहुँचाया जाय।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण
03-	श्री उमाशंकर अकेला स०वि०स०	हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण एवं बरही, प्रखण्डों के 56 गाँवों को दामोदर घाटी निगम के द्वारा वर्ष-1951-52 में तिलैया डैम का निर्माण हेतु विस्थापित किया गया था। तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा दामोदर घाटी निगम को जमीन दिया गया। दामोदर घाटी निगम के द्वारा विस्थापन नीति के तहत विस्थापितों को पुनर्वासित करने का अश्वासन दिया गया तथा चौपारण एवं बरही प्रखण्ड में बहुत से गाँवों	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ०पृ०उ०-

01.	02.	03.	04.
		को दामोदर घाटी निगम के द्वारा जमीन का पर्चा भी दिया गया है, लेकिन आज तक सरकारी रसीद निर्गत नहीं किया गया है। चौपारण प्रखण्ड के ग्राम हड़ाही तथा बहिमर जिन्हें पूर्ण रूप से विस्थापित किया गया था, इन दोनों गाँव को बरही के गौरियाकरमा में पूनर्वास हेतु जमीन दिया गया, लेकिन गौरियाकरमा के रैयतों के द्वारा जबर्दस्ती विस्थापितों को वहाँ बसने नहीं दिया गया। लाचार होकर दोनों गाँव के किसानों ने बरही के बरसोत पंचायत के ग्राम श्री नगर में बस गये। लेकिन, आज तक बिहार सरकार तथा झारखण्ड सरकार के द्वारा जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ इन सभी रैयतों को मालिकाना हक में	
04-	श्री केदार हजरा स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0 श्री राज सिन्हा स0वि0स0	जमुआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत देवरी प्रखण्ड के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भेलवाघाटी पंचायत में आश्रम विद्यालय भवन का निर्माण सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में कराया गया, लेकिन इस आश्रम विद्यालय में अभी तक पठन-पाठन का कार्य सरकार द्वारा प्रारंभ नहीं कराया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस विद्यालय के माध्यम से गरीब आदिवासी अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा दिलाया जाना है। क्योंकि इस क्षेत्र में गरीब आदिवासी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अतः उक्त विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करवाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
05-	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की स0वि0स0	विदित् हो कि चतरा जिलान्तर्गत टंडवा स्थित एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्ष 2006 में विस्थापित भू-रैयतों को झारखण्ड सरकार द्वारा प्रति एकड़ 4,35,000 (चार लाख पैंतीस हजार) राशि दिये जाने के उपरांत एन0टी0पी0सी0 ने काम बन्द कर दिया-	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		तथा वर्ष 2013 में पुनः काम शुरू किये जाने के बाद टंडवा की जमीन की कीमत में काफी बढ़ोत्तरी हो गई जिस पर एन0टी0पी0सी0 द्वारा दिनांक– 27.11.2013 को अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय बैठक की गई उससे बड़कागाँव, पकरी एवं बरवाडीह कोयला खनन की तर्ज पर झारखण्ड सरकार की संकल्प सं0– 116, दिनांक– 27.02.2013 के आधार पर रैयतों को पुनर्वास एवं मुआवजा के लिए 15,00,000/– (पन्द्रह लाख) रूपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किये जाने पर समझौता हुआ। पुनः सरकार की संकल्प सं0– 116, को संशोधित कर दिनांक– 21.03.2015 को भू–रैयतों को प्रति एकड़ 20,00,000/– (बीस लाख) रूपये की दर पर भुगतान किये जाने की सहमति बनी। इसी तर्ज पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया की अध्यक्षता में V.D.A.C. की बैठक हुई जिसमें टण्डवा के भू–रैयतों को 20 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किये जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। परन्तु आज तक बढ़े हुए 5,00,000/– (पाँच लाख) रूपये का भुगतान शुरू नहीं हुआ है। अतः अधिग्रहित भूमि के प्रभावित रैयतों की बढ़ी हुई राशि का मुआवजा एवं पुनर्वास की व्यवस्था कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहती हूँ।	

राँची,
दिनांक– 03 अगस्त, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–39/2022–2064/वि0 स0, राँची, दिनांक– 02/08/22

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, ऊर्जा विभाग/ सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.08.22
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–39/2022–2064/वि0 स0, राँची, दिनांक– 02/08/22

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

02.08.22
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–

02/08/22